

वादी द्वारा वाद लावत स्माई विवेधाना
का अनिदिम्त सिविल न्यायाधीश सं. 3
जोधपुर महानगर के लमऊ पेश क्रि. प्रिने
सिविल न्यायालय के अधीकार का होने
से आदेश 7 नियम 10 खीपीली लपठित
लामान्य नियम (दिवारी व फण्डि) 2018
के आदेश 22 नियम 13 व 14 के अधधान
अनुसार राजस्व न्यायालय में पेश करने हेतु
प्राप्त गया जो वाद वही द्वारा पेश क्रि
उत्ते दर्ज रजिस्टर क्रि गया।

वादी द्वारा एक धार्मिक पत्र अर्थात्
आदेश 23 नियम 01 लपठित धारा 15।
CPC का पेश कर विवेदन क्रि कि
उपरोक्त वाद में कुछ तथ्यों का समावेश
होना संभव है कि जाने एवं प्रकरण
में कुछ रह जाने से मूल वाद एवं
विविध धार्मिक पत्र की विज्ञा कर नया
वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करावे
वादी अधि. को लुना गया। पत्रावली
का अपलोड क्रि गया। न्यायादिल में
वादी द्वारा प्रस्तुत धार्मिक पत्र अर्थात्
आदेश 23 नियम 01 CPC लीकार

क्रिया जाना इयिन् प्रतीत होता है।

वाक एवं विविध धारणा एवं कान्य
वाक पेश करने की अनुमति दी जाती
है। प्रभावही कल्प शुभार होकर

वाचिण वल्लभ वेदनी